पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 68/2021

अनवान : –

1. उम्मेद खॉ पुत्र एवज खॉ जाति मुसलमान निवासी जुलाहो की ढाणी त0 भादरा। वादी

बनाम

1. कासम अली खॉ पुत्र एवज खॉ जाति मुसलमान निवासी तहसील भादरा।
2. मजीद खॉ पुत्र एवज खॉ जाति मुसलमान निवासी तहसील भादरा।
3. नानू खॉ पुत्र एवज खॉ जाति मुसलमान निवासी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेन्द्र जागिड़ व वकील प्रतिवादी श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 29/26 के खसरा सं0 526, 541, 542, 543 की कुल 31.3000है0 बारानी मय गै0मु0 ढाणी में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के साथ मरहुम इब्राहिम खॉ पुत्र एवज खॉ बहिस्सा बराबर 616 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है **उसमें इब्राहिम खॉ पुत्र एवज खॉ का नाम कलमजन किया जाकर वादी उम्मेद खॉ, प्रतिवादी सं 01 कासम खॉ प्रतिवादी सं0 2 मजीद खॉ व प्रतिवादी सं0 3 नानू खॉ पुत्रान एवज खॉ को बहिस्सा बराबर 616 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 —68/2021

अनवान : —

1. उम्मेद खॉ पुत्र एवज खॉ जाति मुसलमान निवासी जुलाहो की ढाणी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. कासम अली खॉ पुत्र एवज खॉ जाति मुसलमान निवासी तहसील भादरा।
2. मजीद खॉ पुत्र एवज खॉ जाति मुसलमान निवासी तहसील भादरा।
3. नानू खॉ पुत्र एवज खॉ जाति मुसलमान निवासी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री महेन्द्र जागिड़ वादी
श्री राममूर्ति ताखर प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 17/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 29/26 के खसरा सं0 526, 541, 542, 543 की कुल 31.3000है0 बारानी मय गै0मु0 ढाणी में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के साथ मरहुम इब्राहिम खॉ पुत्र एवज खॉ बहिस्सा बराबर 616 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जिसमें इब्राहिम खॉ 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वादी व प्रतिवादीगण के साथ है।

वाद भूमि पहले वादी के पूर्वजों की खातेदारी हुआ करती थी। बाद में वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के साथ साथ इब्राहिम खॉ के नाम दर्ज हो गई। इब्राहिम खॉ पुत्र एवज खॉ की शादी नहीं हुई और ना ही उसके कोई संतान हुई, इब्राहिम खॉ ने अपने जीवन काल में किसी को गौद नही लिया । मरहुम इब्राहिम खॉ का अपने भाईयो से लगाव था जिसने जीवन काल में ही अपने भाई वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम मौखिक वसीयत कर दी और उसकी मृत्यु के बाद आज तक उक्त वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का कब्जा काश्त है इसी के अनुसार चारों भाई आज भी उक्त वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी वाद भूमि इब्राहिम खॉ के नाम दर्ज रहने पर वादी व प्रतिवादीगण वाद भूमि का पूरी तरह से उपयोग—उपभोग नहीं कर रहे है। इस प्रकार इब्राहिम खॉ के हिस्से को अपने नाम दर्ज करवा पाने के लिए वादी व प्रतिवादीगण कानूनी अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 ने जवाब स्टैट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में उम्मेद खॉ पुत्र एवज खॉ त0 भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी करणपुरा बारानी के खाता सं0 29/26 प्रदर्श 1 सदस्य प्रमाण पत्र पार्षद प्रदर्श 2 शपथ पत्र वारिसान प्रदर्श 3 व मृत्यु प्रमाण पत्र पिता एवज खॉ , माता साहिबी बानो व इब्राहिम खॉ आदि प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 29/26 के खसरा सं0 526, 541, 542, 543 की कुल 31.3000है0 बारानी मय गै0मु0 ढाणी में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के साथ मरहुम इब्राहिम खॉ पुत्र एवज खॉ बहिस्सा बराबर 616 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है, इब्राहिम खॉ पुत्र एवज खॉ की मृत्यु दिनांक 21.01.2020 को हो चुकी है व वादी व प्रतिवादीगण के माता–पिता की मृत्यु पूर्व में हो गई है इस प्रकार इब्राहिम खॉ के प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में उसके भाई वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के रूप में होने से इब्राहिम खॉ के हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 29/26 के खसरा सं0 526, 541, 542, 543 की कुल 31.3000है0 बारानी मय गै0मु0 ढाणी में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के साथ मरहुम इब्राहिम खॉ पुत्र एवज खॉ बहिस्सा बराबर 616 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं उसमें **इब्राहिम खॉ पुत्र एवज खॉ का नाम कलमजन किया जाकर वादी उम्मेद खॉ, प्रतिवादी सं 01 कासम खॉ प्रतिवादी सं0 2 मजीद खॉ व प्रतिवादी सं0 3 नानू खॉ पुत्रान एवज खॉ को बहिस्सा बराबर 616 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़